

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

बनवारी लाल बनाम प्रहलाद सहाय व अन्य

केस संख्या 86/2021 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
21.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि सहायक कलक्टर कोटपूतली लिंक पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनीता मीणा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 55/2018 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 33/2018 व उनवानी बनवारी लाल व अन्य बनाम प्रहलाद व अन्य में सहायक कलक्टर कोटपूतली का पद रिक्त होने से लिंक पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनीता मीणा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>सहायक कलक्टर कोटपूतली के तत्कालीन लिंक पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनीता मीणा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p>21/9/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर</p>	